प्रेषक,

निदेशक,
विकलांग कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिला विकलांग कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः 15069 /वि0क0/यो0/आवंटन/2013-14 : लखनऊ दिनांक : 05 मार्च, 2014.

विषयः- वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्षक "2235-02-101-07- अन्तर्गत नेत्रहीन, मूकबधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान" के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्या 23/65-2-2014-21(बजट)/2013 दिनांक 25 फरवरी, 2014 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्षक "2235-02-101-07- अन्तर्गत नेत्रहीन, मूकबधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान" के अन्तर्गत **पुनर्विनियोग के माध्यम से** आयोजनेत्तर पक्ष में आबंटन आदेश सं0- 058-0301-. दिनांक-05.03.2014 (संलग्नक-1) में दिये गये जनपदवार आवंटन के अनुसार कुल रु0 18,81,25,000/- (रूपये अट्ठारह करोड़ इक्यासी लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखी जाती है तथा संलग्नक-2 के अनुसार भौतिक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें वित्तीय वर्ष 2012-13 के द्वितीय किश्त के अवशेष लाभार्थियों के साथ वित्तीय वर्ष 2013-14 के द्वितीय किश्त के अवशेष लाभार्थी भी सम्मिलित हैं। :-

1- उपर्युक्त धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सुसंगत वित्तीय नियमों, आदेशों, तथा मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

2- आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

3- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय के नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1195/दस-16/1994, दिनांक 6 जून, 1994 तथा शासनादेश संख्या-बी-2337/दस-97, दिनांक 21.11.1997 द्वारा निर्गत निर्देशों का भी कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

4- मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0-8 पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक निदेशक, विकलांग कल्याण को उपलब्ध कराया जायेगा। बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचना तथा उसके सम्बन्ध में कलैण्डर के संकलित प्रारूप का उल्लेख मुख्य सचिव के अर्धशासकीय पत्र संख्या-3318/दस-22-98, दिनांक 28.07.1998 में किया गया है।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिस प्रयोजन के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा जिसका उत्तर दायित्व जिला विकलांग कल्याण अधिकारी का होगा।

6- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय उपरोक्त आबंटन आदेश सं0- 058-0301-. दिनांक- 05.03.2014 में उल्लिखित मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

7- उक्त आवंटन निदेशालय की सम्यक अनुदान पंजिका के पृष्ठ सं0- 15 पर अंकित हैं।

भवदीय,

<u>संलग्नक</u> :- यथोक्त।

(अनिल कुमार सागर)
निदेशक।

<u>पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।</u>

<u>प्रतिलिपि</u> निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी-प्रथम/आडिट-प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2 प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, विकलांग कल्याण विभाग।
3 सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4 सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5 समस्त उप निदेशक, विकलांग कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
6 वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-3/वित्त (बजट) अनुभाग-1
7 नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1
8 गार्ड फाईल।

(डा0 ए0के0 वर्मा)
उपनिदेशक,
कृते निदेशक।